अध्याय IV

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

4.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और समग्र रूप से स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए निरन्तर प्रतिबद्ध है। यह संधारणीयता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करके समग्र रूप से अपने हितधारकों और सामान्य समुदाय के हितों को पहचानता है। सीएसआर की अवधारणा आदान-प्रदान की विचारधारा पर टिकी हुई है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधनों आदि के रूप में संसाधनों को लेती है। सीएसआर गतिविधियों का कार्य निष्पादित करके, कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही है।

चार्ट 4.1

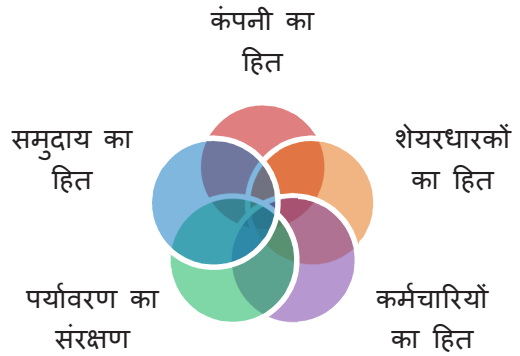

अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के लागू होने से सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी सीएसआर नियम 2014 कंपनियों द्वारा सामाजिक व्यय को अधिवेशित और विनियमित करता हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर अधिदेश को शामिल करना सरकार के विकास के लाभों को समान रूप से पहचाने और कॉर्पोरेट जगत को देश के विकास एजेंडे के साथ जोडने के प्रयासों को अनुपूरक बनाने का एक प्रयास है।

कानूनी ढांचा: कंपनी अधिनियम 2013 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है और कंपनियों के

लिए किसी भी वित्तीय वर्ष[31] के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर और शुद्ध लाभ के आधार पर योग्य मानदंड निर्धारित करती है जिन्हें सीएसआर गतिविधियां करनी अपेक्षित है और अन्य के साथ-साथ कंपनी के निदेशक बोर्ड के द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन के विस्तृत तौर-तरीकों, कार्यान्वयन और निगरानी को निर्दिष्ट किया गया है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में जिन गतिविधियों को शामिल किया जाता है, वे अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध है। अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान, अधिनियम की अनुसूची VII सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू हैं। अधिनियम किसी भी कंपनी को सीएसआर गतिविधियों के लिए तीन तत्कालीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिकलित) का कम से कम 2 प्रतिशत सालाना खर्च करना अनिवार्य बनाता है। अधिनियम के तहत सीएसआर के प्रावधानों के अनुपालन अर्थात सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति का निरूपण और सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि को व्यय करना अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ।

फरवरी 2014 में, निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 जारी की। सीएसआर नियम 1 अप्रैल 2014 से सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू किए गए थे। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने अगस्त 2016 में सीपीएसई द्वारा सीएसआर के तहत पारदर्शिता और गतिविधियों के चयन में सम्यक तत्परता और कार्यान्वयन के अनुपालन पर अधिसूचना भी जारी की।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पीसीएसई की जीएसआर गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या अधिनियम के प्रावधानों, कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 तथा डीपीई दिशा-निर्देशों 2016 का अनुपालन किया गया था। सीपीएसई के प्रयासों का आकलन करने के क्रम में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों की जांच की:

---

[31] *कंपनी अधिनियम 2017 के संशोधन 37 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष पर अस्पष्टता को हल करने के लिए, शब्द 'किसी भी वित्तीय वर्ष' को वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले के शब्दों से बदल दिया गया है। यह अधिसूचना 19 सितंबर 2018 से प्रभावी है।*

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के प्रतिपादन तथा अनुपालन, निष्पादन के योजना स्तरों का अनुपालन किया गया है;
- क्या विनिर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के दौरान 82 सीपीएसई द्वारा कार्यान्वित सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने 2016-17 में कुल 164 लाभकारी सीपीएसई में से 82 सीपीएसई का चयन किया था, नीचे तालिका 4.1 मे दिया है

तालिका 4.1: सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा हेतु सीपीएसई का चयन

सीपीएसई के शुद्ध लाभ की मात्रा	आबादी	चयनित सीपीएसई की संख्या	प्रतिशत
₹ 100 करोड़ से अधिक	65*	64	100 *प्रतिशत*
₹ 50 से ₹ 100 करोड़	19	9	47.36 *प्रतिशत*
₹ 10 से ₹ 50 करोड़	37	7	18.91 *प्रतिशत*
₹ 10 करोड़ से कम	43	2	4.65 *प्रतिशत*

**ओएनजीसी विदेश विदेशों में अपने संचालन को अंजाम देता है और इस लिए सीएसआर के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है*

**प्राथमिक स्रोत: 2016-17 के लिए डीपीई की सर्वेक्षण रिपोर्ट*

82 सीपीएसई में 7 महारत्न, 14 नवरत्न, 44 मिनीरत्न और 17 अन्य कंपनियां शामिल थी, जिनमें से 42 सीपीएसई सूचीबद्ध कंपनियां थी। ***परिशिष्ट-XVIII*** में विवरण दिया गया है।

4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों के प्रति किया गया था:

i. अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII में शामिल प्रावधान

ii. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधान

iii. स्वच्छ भारत पर सीएसआर और निर्देशों के तहत गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उचित तत्परता के अवलोकन पर 1 अगस्त 2016 की डीपीई अधिसूचना।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएसआर समिति के गठन, नीति निर्माण और अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना और निष्पादन और सीपीएसई द्वारा निगरानी व रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के विस्तार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए है।

4.5.1 योजना

4.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

चार्ट 4.2

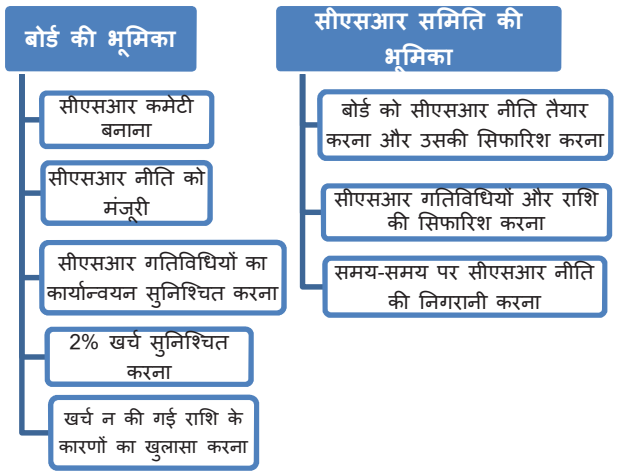

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी की निवल सम्पति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक या ₹ 1000 करोड़ या उसमें अधिक का टर्नओवर या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है और इस प्रकार सीएसआर गतिविधियों के लिए अर्हता प्राप्त कम्पनी तीन या अधिक निदेशक वाले बोर्ड की एक सीएसआर समिति स्थापित करेगी। अधिनियम के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए चुनी गई सभी 82 सीपीएसई उपरोक्त मापदंड को पूरा कर रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सोलर एनर्जी कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआईएल) के अलावा सभी सीपीएसई ने सीएसआर समिति का गठन किया; जिसने केवल सितम्बर 2018 में समिति का गठन किया था। जबकि 76 सीपीएसई ने एक स्टेंडआलोन सीएसआर समिति का गठन किया था, 5 सीपीएसई (सीओएनएआईआर, ईसीजीसी, ईआईएल, जेसीआई और एमडीएल) ने बोर्ड के साथ सीएसआर समिति को क्लब कर दिया। सभी सीपीएसई में, एंट्रिक्स को छोड़कर, समिति में न्यूनतम 3 निदेशक थे, जिसमें

केवल दो निदेशक थे। अधिनियम की धारा 135 (1) और (3) के अनुसार बोर्ड और सीएसआर समिति की भूमिका को चार्ट में दर्शाया गया है।

4.5.1.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक

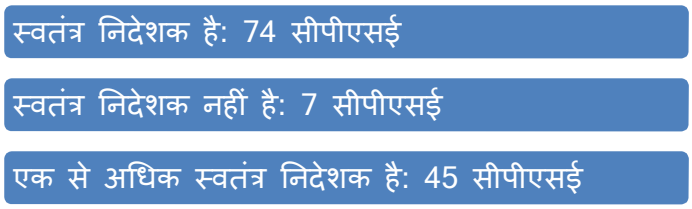

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। 81[32] सीपीएसई में से जहां सीएसआर समिति का गठन किया था, 74 सीपीएसई ने समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होने के नियम की अनुपालना की थी। शेष 7 सीपीएसई (एन्ट्रिक्स, बीएलआई, जीजीएल, एचएससीसी, आईआईएफसीएल, जेसीआई और एनएचडीसी) के संबंध में समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नामित नहीं किया गया था, चार सीपीएसई (एआईईएल), एआईएटीएसएल, एनटीपीसीवीवीएन और आरईसीपीडीसी) पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियां होने के स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता कंपनी (निदेशक) की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन अधिनियम, 2017 के नियम 4(2) के अनुसार नहीं है। 45 सीपीएसई में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे ***(परिशिष्ट-XVIII)***। सीएसआर समिति में कुल 354 निदेशकों में से, 150 स्वतंत्र निदेशक थे और 15 महिला निदेशक थी।

कोरपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने अपने उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि कंपनी द्वारा जमा की गई अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार, जेसीआई की समिति में स्वतंत्र निदेशक हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए जेसीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गैर अधिकारिक निदेशक की नियुक्ति केवल अगस्त 2018 अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई।

4.5.1.3 सीएसआर नीति का निर्धारण: अधिनियम की धारा 135 (3) में अपेक्षित है कि सीएसआर समिति एक सीएसआर नीति तैयार करें और बोर्ड को सिफारिश करे। 81 सीपीएसई ने सीएसआर समिति की सिफारिश पर आधारित सीएसआर नीति तैयार की और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया था। जबकि 5 सीपीएसई (सीसीएल, सीपीएमडीआईएल, एनसीएल, एसईसीएलऔर एनटीपीवीवीएन) ने सहायक कंपनियां होने के नाते अपनी होल्डिंग कंपनी की नीति को अपनाया (जैसे सीआईएल और एनटीपीसी),एक

[32] *एसईसीआईएल ने सिर्फ सितंबर 2018 में ही समिति का गठन किया।*

सीपीएसई (जेसीआई) के पास सीएसआर नीति नहीं थी। गेल गैस ने केवल मई 2017 में सीएसआर नीति बनाई और इसलिए इसने 2017-18 से पहले सीएसआर गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया, भले ही यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करने के लिए योग्य था। 81[33] सीपीएसई द्वारा नीति और उसके अनुपालन के संबंध में नियम 6 की आवश्यकता नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका 4.2 : सीपीएसई द्वारा सीएसआर नीतियों का अनुपालन

सीएसआर नियम संख्या 6 की आवश्यकता	सीपीएसई द्वारा अनुपालन	
नीति में अन्य के साथ निम्न का शामिल किया जाना	**हाँ**	**नहीं**
कार्यान्वयन के फोकस क्षेत्र	81	0
कार्यान्वयन का तरीका	77	4 (एंट्रिक्स, सीडब्ल्यूसी, आईओसीएल, केआरसीएल और यूसीआईएल)
घोषणा कि सीएसआर परियोजना/गतिविधि से अधिशेष व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा	44	37[34]
निगरानी की रूपरेखा	73	8 (बीएलआई, कोन कोरएयर, सीडब्ल्यूसी, ईआईएल, आईओसी, एनएलसी, एनटीपीएल और यूसीआईएल)

- 2014 में डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को अगस्त 2016 के संशोधित दिशा-निर्देशों द्वारा अतिष्ठित किया है। 14[35] सीपीएसई की सीएसआर नीति, यद्यपि, 2014 के डीपीई दिशा निर्देशों को लगातार संदर्भित करना जारी है।
- एमसीए स्पष्टीकरण के अनुसार (सितम्बर 2014) सीएसआर की परियोजना लागत में वेतन को शामिल नहीं किया जाता है। इरकॉन, एनबीसीसी, एनएफएल, एनटीपीएलएन, रेलटेल, आरईसीपीडीएल और आरवीएनएल की सीएसआर नीतियों को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।
- बीपीसीएल ने अपनी नीति में सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष के प्रशोधन का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।

---

[33] *जेसीआई की कोई सीएसआर नीति नहीं है*

[34] *एएनटीआरआईएक्स, बीडीएल, बीईएमएल, बीपीसीएल, सीसीएल, सीआईएल, सीएमपीडीआईएल, सीडब्ल्यूसी, ईआईएल, गेलगैस, एचएससीसी, आईआईएफसीएल, आईआरसीटीसी, इरेडा, आईटीपीओकेआईओसीएल, केआरसीएल, एमसीएल, एमडीएल, एमओआईएल, एमएसटीसी, एनएएल, एनबीसीसीसी, एनसीएल, एनएफएल, एनएचडीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, एनआरएल, एनएसआईसी, एनटीपीएल, आरसीएफ, आरईसीएल, आरवीएनएल, एसईसीएल, एसजेवीएन और यूसीआईएल*

[35] *एएआई, बीईएल, बीएचईएल, बीएलसी, जीएसएल, आईआरएफसी, एमआरपीएल, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, रेलटेल, आरईपीडीसी, एसपीएमसीआईएल, टीसीआईएल और टीएचडीसी*

मंत्रालय ने जवाब में बताया कि एमसीए 21 पोर्टल पर कंपनी द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार, केआर-सीएल ने सीएसआर परियोजनाओं के निष्पादन के तोर-तरीकों को निर्दिष्ट किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालाँकि कंपनी की वेब साइट में निष्पादन के तौर तरीकों को निर्दिष्ट किया गया है, केआरसीएल को चाहिए कि परियोजनाओं के निष्पादन के तौर तरीकों को सीएसआर पालिसी दस्तावेजों में शामिल करें।

4.5.1.4 वार्षिक सीएसआर योजना और बजट:

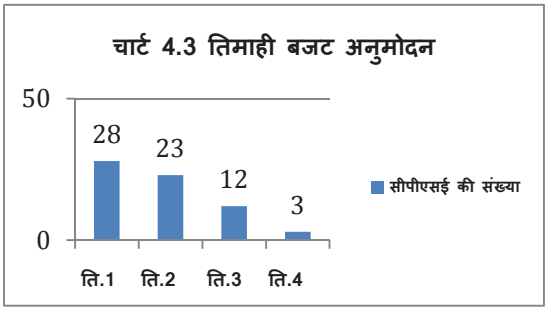

सीएसआर समिति की भूमिका बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों और वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करना है, बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। यह सीएसआर गतिविधि और बजट की योजना और अनुमोदन के लिए आवश्यक है। एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में, प्रस्तावित सीएसआर परियोजनाएं और आगामी वि.व. के लिए बजट को हर साल 31 मार्च तक सीएसआर समिति के माध्यम से अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि अंतिम तिमाही में धनराशि समाप्त करने में कोई हड़बड़ी न हो। इसके अलावा, यह वित्तीय वर्ष में निधियों का पूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। 70 सीपीएसई के लिए उपलब्ध डाटा के अनुसार, 28 सीपीएसई को प्रथम तिमाही में अनुमोदित अनंतिम बजट मिला (चार सीपीएसई सहित जिसे पिछले वर्ष में ही अनुमोदित बजट मिला अर्थात मार्च 2017), दूसरी तिमाही में 23 सीपीएसई और तीसरी तिमाही में 12 सीपीएसई को बजट मिला। तीन सीपीएसई को केवल चोथी तिमाही (बीएलआई, एमसीएल और रेलटेल) में बजट स्वीकृत हुआ था, 2 सीपीएसई अर्थात् आईआरईडीए और एनसीएल को परियोजना बार बजट सभी 4 तिमाहियों में स्वीकृत हुआ था और 2 सीपीएसई (ईसीजीसी और एनटीपीएल) ने बजट तैयार नहीं किया था। ***परिशिष्ट-XIX*** में विवरण दिया गया है।

4.5.2 वित्तीय घटक

4.5.2.1 निधियों का आबंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार, किसी भी कंपनी के लिए तीन तत्कालीन विगत वित्तीय वर्षों (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित) के निवल लाभ के औसत का कम से कम 2 प्रतिशत वार्षिक रूप से खर्च करना अनिवार्य है। 82 सीपीएसई के लिए तथा परिकलित निवल लाभ के औसत का 2 प्रतिशत ₹ 3,272.47 करोड़ था। सीपीएसई ने ₹ 3,452.77 करोड़ अर्थात् ₹ 180.30 करोड़ अधिक आबंटित किया (***परिशिष्ट-XX*** में विवरण दिया गया है)।

तालिका: 4.4

तीन साल से पहले के औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित)	2017-18 के लिए 2 प्रतिशत आबंटन किया जाएगा	वास्तविक आबंटित
₹ 1,63,219.04 करोड़*	₹ 3,272.47 करोड़	₹ 3,452.77 करोड़
	₹ 180.30 करोड़ की अधिक राशि अधिनियम के अनुसार आवंटित की जाने वाली राशि और वास्तव में आवंटित की गई राशि के बीच अंतर के कारण है।	
*₹ 0.45 करोड़ का अंतर राशि के लाख से करोड़ में राउंड ऑफ के कारण हैं		

- 19 सीपीएसई ने 2016-17 के लिए आगे ले जाने के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित की थी/आबंटित की थी (₹ 266.39 करोड़ की कुल अतिरिक्त राशि)।
- 6 सीपीएसई (सीसीआईएल, एचयूडीसीओ, केपीएल, एनसीएल, पीएफसीएल और, यूसीआईएल) ने गत तीन वर्षों के औसत का 2 प्रतिशत से कम आबंटित किया था।
- 6 सीपीएसई द्वारा कुल कम-आबंटन ₹ 86 करोड़ की सीमा तक था। डब्ल्यूएपीसीओएस के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.5.2.2 ऋणात्मक निवल लाभ वाली सीपीएसई

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 82 सीपीएसई में से, 3 सीपीएसई (केआईओसीएल, एनटीपीएल और टीसीआईएल) का औसत निवल लाभ क्रमश: ₹ (-)8.97 करोड़, ₹ (-) 27.33 करोड़ और ₹ (-)47.41 करोड़ तक ऋणात्मक था। हालांकि, 2017-18 में सीएसआर पर क्रमश: ₹ 0.16 करोड़, ₹ 1.44 करोड़ और ₹ 1.15 करोड़ आबंटित और खर्च किए गए। आईआईएफसीएल का निवल लाभ 2017-18 के लिए ऋणात्मक था। हालांकि इसका टर्नओवर 2017-18 में ₹ 1000 करोड़ से अधिक था और इसलिए तीन

पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ के आधार पर आईआईएफसी ने सीएसआर पर ₹ 17.32 करोड़ खर्च किए थे।

4.5.2.3 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करें। डीपीई ने यह भी सलाह (1.08.2016) दी कि वर्ष के लिए आबंटित सीएसआर निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए सीपीएसई द्वारा सभी प्रयास किये जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 3,272.47 करोड़ की निर्धारित 2 प्रतिशत राशि के प्रति ₹ 3,338.60 करोड़ कुल खर्च किए थे। हालांकि, इसमें ₹ 235.71 करोड़ की अग्रेनीत राशि शामिल है। इस प्रकार, 2017-18 के लिए ₹ 169.60 करोड़ की कमी थी और ₹ 732.99 करोड़ की अग्रेनीत राशि की कमी थी। 48 सीपीएसई ने वि.व. 2017-18 में सीएसआर निधियों का पूरा उपयोग किया था जबकि 34 सीपीएसई द्वारा उपयोग में कमी थी। 43 सीपीएसई ने निर्धारित राशि से अधिक खर्च किए थे। एआईईएल सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका क्योंकि कंपनी विनिवेश के लिए विचाराधीन थी। ₹ 487.04 करोड़ की निर्धारित राशि के प्रति, ओएनजीसी ने ₹ 503.44 करोड़ (उपरिव्यय सहित) खर्च किए थे। हालांकि, 2016-17 से अग्रेनीत पर विचार करे तो ₹ 15.14 करोड़ की सीमा तक कमी थी। इसी प्रकार, एमडीएल के लिए ₹ 12.77 करोड़ की कमी थी। एआईएटीएसएल को 2016-17 से अग्रेनीत ₹ 1.86 करोड़ और ₹ 1.39 करोड़ खर्च करने थे। हालांकि, एआईएटीएसएल ने 2017-18 की अंतिम तिमाही में अग्रेनीत राशि का केवल ₹ 0.84 करोड़ खर्च किए थे। ***परिशिष्ट-XX*** में सीपीएसई वार किए गए खर्च का विवरण दिया गया है। सीपीएसई द्वारा पूर्ण सीएसआर निधियों का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारणों में बजट की मंजूरी में देरी/गैर-उपयुक्त परियोजना या कार्यान्वयन एजेंसी/ बहु-वर्ष परियोजना थे।

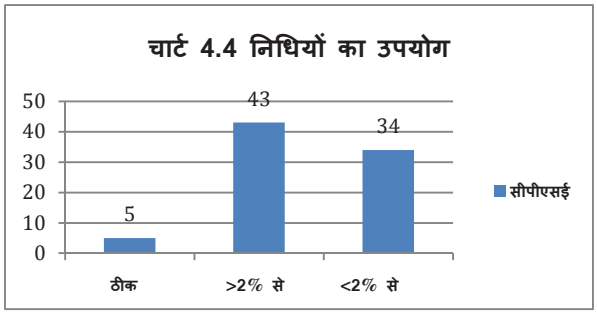

डीपीई ने अपने उत्तर (जुलाई 2019) में बताया कि सीएसआर व्यय पर सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत कुछ आंकडे और औसत निवल लाभ डीपीई के वार्षिक पीई सर्वेक्षण 2017-18 के आंकडो से यथार्थत: मेल नहीं खाते।

अध्याय में प्रस्तुत सीएसआर व्यय के आंकडे सीपीएसई द्वारा प्रदान किए डेटा के आधार पर लिए गये है। इसके अतिरिक्त डीपीई के वार्षिक पीई सर्वेक्षण के अनुसार निवल लाभ सीपीएसई की लाभ व हानि विवरणी के अनुसार है। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 135 की आवश्यकता के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ की गणना करने के उद्देश्य हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार निवल लाभ पर विचार किया जाना है। इसलिए लेखापरीक्षा और डीपीई सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत आंकडे भिन्न हैं।

4.5.2.4 अग्रेनीत राशि का उपयोग

तालिका 4.3 बडी सीएसआर राशि खर्च न करने वाली सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	2016-17 से आगे बढ़ा	2017-18 में खर्च किया गया	अव्ययित राशि
एसईसीएल	186.35	0.32	186.03
पीजीसीआईएल	123.38	0.05	123.33
बीपीसीएल	127.23	14.00	113.23
आरईसी	76.77	22.04	54.73
पीएफसीएल	100.20	51.16	49.04
भेल	53.90	25.80	28.10
ईआईएल	26.83	5.58	21.25
बीईएल	31.23	10.20	21.03
कुल	**725.89**	**129.15**	**596.74**

एमसीए स्पष्टीकरण के अनुसार (12 जनवरी 2016), बोर्ड यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या न्यूनतम सीएसआर निधि से किसी भी अव्ययित राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाना है। 42 सीपीएसई ने ₹ 968.70 करोड़ (वि.व. 2016-17 से) की अव्ययित राशि को अग्रेनीत किया, जिसमें से ₹ 235.71 करोड़ की राशि 2017-18 में खर्च की गई, जिसमें ₹ 732.99 करोड़ की राशि शेष थी। 13 सीपीएसई (एएआई, एआईईएल, कॉनकोर सीडब्ल्यूसी, ईसीजीसी, एचएससीसी, आईओसीएल, इरकॉन, केआईओसीएल, नीपकोएनएलसी, एनआरएलऔरयूसीआईएल) ने 2017-18 में अग्रेनीत राशि को पूर्णत: खर्च किया था। 4 सीपीएसई (कोनकोर एयर, आईटीपीओ, केआरसीएल और एनटीपीवीएनएल) ने अभी तक अग्रेनीत राशि को खर्च नहीं किया था। 29 सीपीएसई ने अग्रेनीत राशि को पूर्णत: खर्च नहीं किया था। प्रमुख अव्ययित राशि वाले सीपीएसई को तालिका में सुचीबद्ध किया गया है। 8 सीपीएसई के लिए ₹ 725.89 करोड़ के कुल अग्रेनीत के प्रति ₹ 596.74 करोड़ की शेष राशि को छोड़कर केवल ₹ 129.15 करोड़ खर्च किए थे।

4.5.2.4.1 अव्ययित राशि का लेखांकन: आईसीएआई द्वारा जारी किए गए सीएसआर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी (जीएन) के अनुसार, अव्ययित राशि का खुलासा केवल बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाना है और अव्ययित राशि के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाना है। हालांकि, यदि कोई कंपनी पहले से ही कुछ सीएसआर

गतिविधि कर चुकी है, जिसके लिए एक संविदात्मक दायित्व किया गया है तो आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि को किस हद तक पूरा किया गया था, इसके लिए राशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिसे पुस्तकों में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीडीएल, भेल और पीएचएल क्रमश: ₹ 9.58 करोड़, ₹ 31 करोड़ और ₹ 2.20 करोड़ की सीमा तक अग्रेनीत/अव्ययित राशि के लिए प्रावधान बना रहे है। 4 सीपीएसई (एएआई, ईसीजीसी, एचएससीसी और आईओसी) ने सीएसआर के लिए कोष बनाया है (₹ 61.72 करोड़, ₹ 2.25 करोड़ ₹ 1.44 करोड़ और ₹ 1.32 करोड़)। यह सीएसआर के लिए लेखांकन पर जीएन का उल्लंघन है।

4.5.2.5 तिमाही वार खर्च

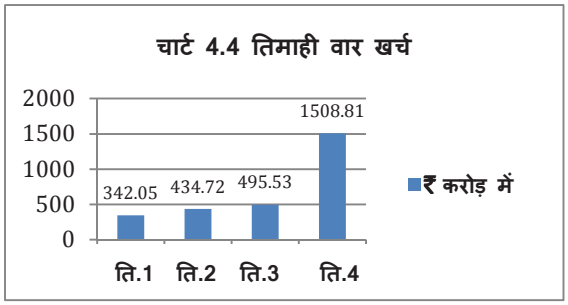

80 सीपीएसई (2 सीपीएसई अर्थात एसईसीआई एवं यूसीआईएल के लिए तिमाही वार ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है) द्वारा ₹ 1272.30 करोड़ पहली तीन तिमाहीयों में और अंतिम तिमाही में ₹ 1508.81 करोड़ (अग्रेनीत सहित) कुल खर्च किए थे। यह इंगित करता है कि अंतिम तिमाही में सीएसआर खर्च करने में शीघ्रता की थी। हालांकि, तिमाही 2 और तिमाही 3 में कुछ हद तक एकरूपता है। एमओआईएल एकमात्र सीपीएसई थी जिसने सभी 4 तिमाहीयों (क्रमश: ₹ 2.30 करोड़, ₹ 2.34 करोड़, ₹ 2.27 करोड़ और ₹ 2.71 करोड़) में सीएसआर खर्च को समान रूप से किया था। यद्यपि एआईईएल और एचपीसीएल को मार्च 2017 में ही बजट मंजूर किया गया था, लेकिन निधियां वर्ष में उपयोग नहीं की गयी थी। एचपीसीएल ने पहली 3 तिमाहीयों में ₹ 64.25 करोड़ और अंतिम तिमाही में ₹ 92.62 करोड़ खर्च किए। एआईईएल विनिवेश के लिए विचाराधीन था और इसलिए सभी प्रस्तावों को ताक पर रख दिया गया था। 9 सीपीएसई (एआईएटीएसएल बीएलआई, सीओएनएआईआर, गेल गैस, एचएससीसी, एचयूडीसीओ, केआईओसीएल, एनटीपीवीवीएन

और रेलटेल) ने केवल अंतिम तिमाही में खर्च किया था। सीएसआर में 22[36] सीपीएसई के लिए तिमाही 1 में शून्य और 15[37] सीपीएसई के लिए तिमाही 2 में शून्य खर्च किए थे।

4.5.2.6 शीर्ष खर्च करने वाला

2017-18 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल खर्च ₹ 3,338.60 करोड़ (प्रशासनिक उपरिव्यय सहित) था। ₹ 503.44 करोड़ (कुल सीएसआर खर्च का 15.08 प्रतिशत) के साथ ओएनजीसी उसके बाद आईओसीएल, एमसीएल, एनटीपीसी, और एनएमडीसी शीर्ष खर्च करने वाले थे। 2 सीपीएसई तेल क्षेत्र में दो कोयला और खनन क्षेत्र में और एक विद्युत क्षेत्र में है। ₹ 3,338.60 करोड़ के कुल सीएसआर खर्च के प्रति, 5 सीपीएसई ने कुल खर्च का 45.30 प्रतिशत अर्थात ₹ 1,512.92 करोड़ किया। महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न और अन्य सीपीएसई ने निम्नानुसार सीएसआर खर्च किया था:

- 7 महारत्न सीपीएसई: ₹ 1365.36 करोड़
- 14 नवरत्न सीपीएसई: ₹ 990.36 करोड़
- 44 मिनीरत्न सीपीएसई: ₹ 864.17 करोड़
- 17 अन्य सीपीएसई: ₹ 118.51 करोड़

4.5.2.7 सीएसआर व्यय की सीमा

10 सीपीएसई ने ₹ 100 करोड़ से अधिक, 7 सीपीएसई ने ₹ 50 और 100 करोड़ के बीच, 19 सीपीएसई ने ₹ 10 और ₹ 50 करोड़ के बीच और 11 सीपीएसई ने एक करोड़ रूपये से कम खर्च किए थे। अधिकतम सीपीएसई (35) ने ₹ 1-10 करोड़ की सीमा में खर्च किए थे।

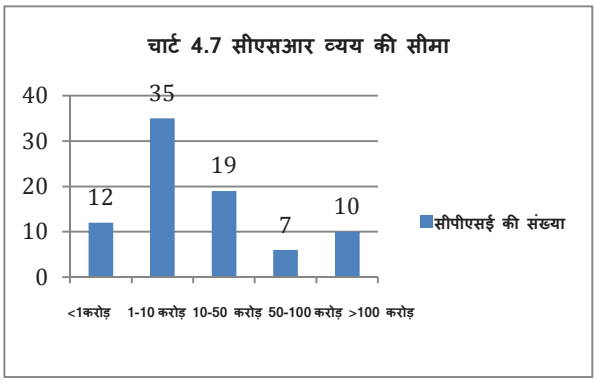

---

[36] *एआईएटीएसएल, भेल, बीएलआईएल, सीएमपीडीआईएल, कोनकोर एयर, गेलगैस, एचएससीसी, हुडको, इरेडाआईआरएफसीएल, केआईओसीएल, एमईसीएल, एमआरपीएल, एनएफएल, एनटीपीएल, पीएचएल, रेलटेल, आरईसीपीडीसीएल, एससीआई, सीईसीआई, एसपीएमसीआईएल, टीसीआईएल*

[37] *एआईएटीएसएल, एआईएक्सएल, बीएलआईएल, सीसीआई, कोन कोरएयर, गेलगैस, एचएससीसी, हुडको, आईआरएफसीएल, केआईओसीएल, एमआरपीएल, एनएफएल, रेलटेल, एसईसीआई, टीसीआईएल*

4.5.2.8 राज्यवार सीएसआर व्यय

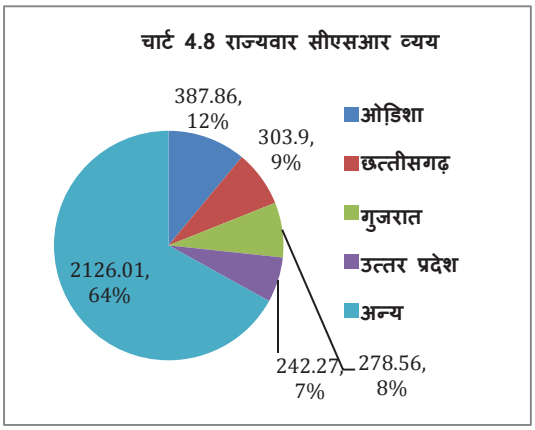

82 सीपीएसई में से 75 ने एक से अधिक राज्यों में सीएसआर गतिविधियां की और इस प्रकार 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ***(परिशिष्ट-XXI)*** में से 35 को कवर किया गया है। दमन एवं दीव में कोई सीएसआर गतिविधि नहीं की गई थी। ओएनजीसी ने अधिकतम राज्यों (32) उसके बाद आईओसीएल (30), पीजीसीआईएल (23) और भेल (18) ने सीएसआर गतिविधियां की थी। 7 सीपीएसई (एआईएटीएसएल, कॉनकोर एयर, जीएसएल, एमसीएल, मिधानी, एनटीपीएल और पीएचएल) ने केवल एक राज्य अर्थात क्रमश: राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और दादरा नागर हवेली में खर्च किए थे। अधिकतम सीएसआर ओडिसा (₹ 387.86 करोड़) उसके बाद छत्तीसगढ़ (₹ 303.90 करोड़) गुजरात (₹ 278.56 करोड़), और उत्तर प्रदेश (₹ 242.27 करोड़) खर्च किए थे। इन चार राज्यों में कुल सीएसआर व्यय का 36.32 प्रतिशत हिस्सा बनता है। अडंमान एवं निकोबार (₹ 0.13 करोड़) दादरा एवं नगर हवेली (₹ 0.20 करोड़), मणिपुर (₹ 0.54 करोड़), नागालैंड (₹ 0.57 करोड़) और मिजोरम (₹ 0.59 करोड़) में सीएसआर व्यय सबसे कम/नगण्य था। दो राज्यों (उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) में अधिकतम ध्यान दिया अर्थात् 41 सीपीएसई और 32 सीपीएसई द्वारा उसके बाद नई दिल्ली में 36 सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया गया। लक्षद्वीप की ओर केवल एक सीपीएसई यथा सीएसएल द्वारा ध्यान दिया गया। मणिपुर, मिजोरम तथा पांडिचेरी प्रत्येक पर 3 सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया और त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार और चंडीगढ़ प्रत्येक पर 2 सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया गया। ₹ 3,338.60 करोड़ के कुल सीएसआर खर्चे में से जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट का सीएसआर खर्चा क्रमश: ₹ 9.57 करोड़ (0.29 प्रतिशत) और ₹ 288.91 करोड़ (8.65 प्रतिशत) था।

4.5.2.9 क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

लेखापरीक्षा में 10 क्षेत्रों के 82 सीपीएसई को शामिल किया गया। 10 सीपीएसई द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में (₹ 1,416.12 करोड़) अधिकतम खर्च किया गया उसके बाद 10 सीपीएसई द्वारा कोयला और खनन में (₹ 524.49 करोड़) अधिकतम खर्च किया गया

था। सबसे कम केवल ₹ 10.76 करोड़ 2 सीपीएसई द्वारा उर्वरक में खर्च किया था। यद्यपि अन्य/अवसंरचना क्षेत्र में सीपीएसई की संख्या अधिकतम (24) थी, केवल ₹ 223.94 करोड़ सीएसआर पर खर्च किए थे।

क्षेत्र और सीपीएसई की संख्या	2% राशि	कुल व्यय
• विमानन - 4	• 80.22	• 73.51
• खनन -10	• 401.53	• 524.49
• रक्षा -2	• 88.87	• 95.68
• उर्वरक -2	• 12.08	• 10.76
• अन्य - 24	• 242.10	• 223.94
• धातु -3	• 126.41	• 174.80
• पेट्रोलियम - 10	• 1337.69	• 1416.12
• विद्युत - 13	• 774.78	• 706.46
• रेलवे -9	• 100.47	• 63.17
• जहाजरानी - 5	• 42.29	• 39.71

9 सीपीएसई वाली रेलवे ने ₹ 100.47 करोड़ की निर्धारित राशि के प्रति ₹ 63.17 करोड़ व्यय किए और जहाजरानी (5 सीपीएसई) ने ₹ 39.71 करोड़ व्यय किए। रक्षा, धातु, खनन और पेट्रोलियम क्षेत्र ने निर्धारित राशि से अधिक व्यय किया। विमानन, उर्वरक, अन्य/अवसंरचना, विद्युत, रेलवे और जहाजरानी क्षेत्र में सीएसआर व्यय में कमी थी।

4.5.2.10 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियम 4 (6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय (ओएच) को कुल सीएसआर निधि के 5 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना है। अलग से उल्लिखित ओएच में आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरि व्यय को शामिल करना चाहिए। ₹ 3,338.60 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से 48 सीपीएसई के लिए ओएच की औसत प्रतिशतता केवल 2.27 प्रतिशत अर्थात् ₹ 75.92 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 29 सीपीएसई ने या तो किसी ओएच वहन नहीं किया या सीएसआर के तहत इसे शामिल नहीं किया था।
- ओएच का प्रमुख घटक वेतन (₹ 58.36 करोड़) था। ओएच के तहत कुल 25 सीपीएसई ने वेतन शामिल किया। 8 सीपीएसई (भेल, एचएएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, पीएफसीएल, पीजीसीआईएल, आरईसी और एसजेवीएन) की ₹ 1 करोड़ से अधिक वेतन था।
- 8 सीपीएसई अर्थात एएआई (14.73 प्रतिशत), बीडीएल (6.36 प्रतिशत), भेल (22.55 प्रतिशत), जीएसएल (5.9 प्रतिशत), आईआरईडीए (6.09 प्रतिशत), जेसीआई (29.26 प्रतिशत), केपीएल (19.23 प्रतिशत) और आरआईटीईएस (5.05 प्रतिशत) का ओएच 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

- एमआरपीएल और ओआईएल को सीएसआर के तहत ओएच में शामिल नहीं किया जा रहा है। मिधानी ने ओएच में क्षमता निर्माण को शामिल नहीं किया है।
- यद्यपि आरसीएफ और आरआईटीईएस ने ओएच पर अलग से काम किया था, लेकिन सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया।

4.5.2.11 सीएसआर परियोजना से अधिशेष

सीएसआर नियम 6 (2) के अनुसार, सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। 82 सीपीएसई में से, केवल 2 सीपीएसई (एचएएल और एसजेवीएन) ने सीएसआर परियोजना से अधिशेष के बारे में सूचित किया था। एचएएल ने पवन चक्की से उत्पन्न अधिशेष (₹ 7.37 करोड़) को सीएसआर निधियों में वापस रख दिया और 2017-18 में इसे पूरी तरह से खर्च किया था। एसजेवीएन ने ब्याज (₹ 0.65 करोड़) अर्जित किया जिसे सीएसआर में वापस रख दिया था। बीडीएल ने अधिशेष सीएसआर निधियों को सावधि जमाओं में निवेश किया था, जिसमें ब्याज (₹ 9.59 करोड़) को सीआरएस निधियों में वापस रखे जाने के बजाय व्यावसायिक आय के रूप में लिया था। किसी अन्य सीपीएसई ने सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधि से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं किया।

हित के विषय: ओएनजीसी की निम्नलिखित सीएसआर परियोजना एनबीसीसी के राजस्व का एक स्रोत था:

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ओएनजीसी को सीएसआर के हिस्से के रूप में वाराणसी में चार ऐतिहासिक कुंडो/तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए कहा और साथ ही एनबीसीसी को संविदा लागत के आधार पर नौकरी के लिए अनुबंध करने का निर्देश दिया। (एजेंसी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत शुल्क लेती है)। तदनुसार, ओएनजीसी ने नौकरी के लिए एनबीसीसी को ₹ 1.6 करोड़ के शुल्क सहित ₹ 16.68 करोड़ का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनबीसीसी जो अधिनियम के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए अर्हता प्राप्त है, ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की (अक्टूबर 2014) अर्थात् एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) जो अपनी ओर से या किसी अन्य सरकारी उपक्रम/कॉर्पोरेट निकाय/सोसायटी/ट्रस्ट/निजी संस्थान/गैर सरकारी संगठन आदि की

ओर से सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करे। एनएसएल को संधारणीयता परियोजनाओं, विरासत-ईमारत जीर्णोद्धार कार्य आदि के लिए एक निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना अनिवार्य है। इसलिए, मंत्रालय द्वारा एनबीसीसी को एनएलएस के माध्यम से उपरोक्त जीर्णोद्धार के कार्य करवाने का निर्देश देना चाहिए। इसके अलावा, एनबीसीसी को अपनी स्वयं की सीएसआर गतिविधियों के लिए इसके द्वारा अर्जित ₹ 1.6 करोड़ के मुनाफा का पुन: निवेश करना चाहिए।

4.5.3 परियोजना कार्यान्वयन

4.5.3.1 सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

आधारभूत सर्वेक्षण और निर्धारण का संचालन: 82 सीपीएसई में से, 69 सीपीएसई ने सीएसआर परियोजना/गतिविधि की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण और निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता थी, जिसमें से 34 सीपीएसई ने आधारभूत और निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता के संचालन पर ₹ 16 करोड़ का व्यय किया है। 13 सीपीएसई (एआईएटीएसएल, एआईईएल, बीडीएल, भेल, बीएलआई, सीसीअरईएल, सीडब्ल्यूसी, गेल गैस, गेल, आईआरएफसीएल, एमआरपीएल, एनएमडीसी और एनटीपीएल) ने कोई अलग से आधारभूत सर्वेक्षण संचालित नहीं किया है।

4.5.3.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के नियम 4 विशेष रूप से धारा 135 (1) के तहत सीएसआर गतिविधि को संचालित करने के तरीके से संबंधित है। बोर्ड अपनी सीएसआर गतिविधियों को एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी या एक कंपनी द्वारा स्थापित की गई कंपनी या उसके होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत या अन्यथा के माध्यम से सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया जा सकता है। 9088 सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का तरीका निम्नानुसार था:

- **प्रत्यक्ष/आंतरिक:** कुल 2616 परियोजनाएं सीपीएसई द्वारा प्रत्यक्ष/आंतरिक रूप से फाउंडेशन (ओएनजीसी, एमओआईएल और आरईसी द्वारा फाउंडेशन के माध्यम से कुछ सीएसआर परियोजनाओं को शुरू किया) के माध्यम को शामिल करते हुए कार्यान्वित की गई थी।

- **बाह्य एजेन्सीयां:** सरकार/बाह्य एजेन्सियों, एनजीओ, सोसायटी आदि के माध्यम से 6185 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया था।
    - एनपीसीआई द्वारा की गई 287 गतिविधियों के संबंध में बाहरी और आंतरिक में ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

सीपीएसई ने कुल 1703 परियोजनाओं के संबंध में निविदा का प्रयोग किया और 932 परियोजनाओं को नामांकन के आधार पर आरंभ किया गया था।

4.5.3.3 केन्द्र बिन्दु के क्षेत्र

चार्ट 4.9 केन्द्रित क्षेत्र

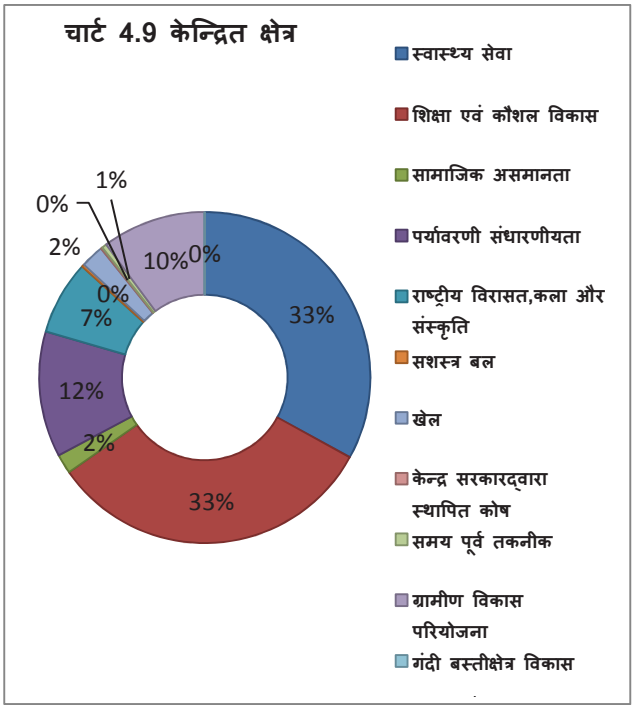

जैसाकि चार्ट में संकेत किया गया है, स्वास्थ्य पर अधिकतम ध्यान (32.66 प्रतिशत) दिया। इस शीर्ष के तहत कुल व्यय ₹ 1090.41 करोड़ हुआ। अगला अधिकतम व्यय (₹ 1067.79 करोड़) शिक्षा में यानि 31.98 प्रतिशत था। केन्द्र सरकार निधि (₹ 5.40 करोड़) और सशस्त्र बलों के कल्याण (₹ 8.35 करोड़) और झुग्गी-झोपड़ी विकास के लिए योगदान (₹ 0.12 करोड़) का सबसे कम केन्द्रीत क्षेत्र था। बीएलआई ने पूरी सीएसआर राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया। सीसीआईएल ने स्वच्छ भारत (एसबी) पर पूरी सीएसआर राशि व्यय की और केपीएल ने एसबी कोष की सीएसआर निधियों का 80.63 *प्रतिशत* योगदान दिया था। शिक्षा में ₹ 395.09 करोड़ और कौशल विकास में ₹ 187.66 करोड़ में अवसंरचना का सहयोग था। स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता में ₹ 534.38 करोड़ और अवसंरचना को सहयोग ₹ 132.31 करोड़ था। ओएनजीसी ने मद वार क्षेत्रों को केन्द्रित क्षेत्रों में बनाए नहीं रखा था। हालांकि, ओएनजीसी ने नागपुर और असम में अस्पतालों की स्थापना में ₹ 100 करोड़ (कुल ₹ 264.98 करोड़ में से) से अधिक राशि व्यय की थी। ओएनजीसी द्वारा शिक्षा पर कुल व्यय ₹ 132.03 करोड़ था।

4.5.3.4 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135 (5) प्रावधान करता है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगी जहां वह सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने के लिए काम करती है। 82 सीपीएसई में से, 19[38] सीपीएसई ने नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया। ₹ 3338.60 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से, स्थानीय क्षेत्रों में व्यय ₹ 2142.28 करोड़ (47 सीपीएसई) यानी 64.16 *प्रतिशत था*। 18[39] सीपीएसईएस ने स्थानीय क्षेत्रों में 100 *प्रतिशत* व्यय किए और 10 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक व्यय किया (बीईएल, भेल, सीसीएल, कॉनकॉर, सीपीसीएल, ईआईएल, केआरसीएल, एनएचडीसी, एनएलसी और एनआरएल)। बीपीसीएल द्वारा शुरू की गई कुल 191 परियोजनाओं में से 146 स्थानीय क्षेत्रों में यानी 76.43 *प्रतिशत* थी। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में अन्य क्षेत्रों में ₹ 110 करोड़ के प्रति स्थानीय व्यय केवल ₹ 56 करोड़ (लगभग) यानी 34 *प्रतिशत* था। बीएलआई ने संपूर्ण राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। 16 सीपीएसई (बीडीएल, बीएलसी, बीपीसीएल, सीसीएल, कानकोर एअर, गेल, एचपीसीएल, इरकॉन, केपीएल, एमडीएल, एमआरपीएल, एनएफएल, ओआईएल, ओएनजीसी, एसईसीएल और एसपीएमसीआईएल) ने 5 से 70 प्रतिशत के बीच स्थानीय क्षेत्रों में व्यय किया था। सीएसआर पर रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार, स्थानीय और अन्य क्षेत्रों में व्यय की गई राशि को अलग दिखाना होगा। 35 सीपीएसई (एएआई, एआईईएल, एआईएटीएसएल, सीसीआई, सीडब्ल्यूसी, ईसीजीसी, गेलगैस, एचएससीसी, हुडको, आईआरसीटीसी, आईआईएफसी, इरेडा, आईआरएफसी, आईटीपीओ, जेसीआई, केआईओसीएल, एमईसीएल, मिधानी, एमएसटीसी, एनबीसीसी, एनसीएल, नीपको, एनएसआईसीएल, एनटीपीवीवीएन, पीएफसीएल, पीएचएल आरईसीसीएल, आरईपीडीसीएल, आरआईटीईएस, एससीआई, एसईसीआईएसजेवीएन, टीसीआईएल और टीएचडीसी यूसीआईएल, वैपकास) ने सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में स्थानीय क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं किया। हालांकि, तीन सीपीएसई बीडीएल, मिधानी और

---

[38] *एंट्रिक्स, बीडीएल, बीईएल, बीएलआई, सीएसएल, ईसीजीसी, सीडब्ल्यूसी, हुडको, आईआईएफसी, आईओसीएल, इरेडा, आईटीपीओ, केआईओसीएल, कोंकण रेलवे, एमएसटीसी, पीएफसीएल, आरपीडीसी, एससीआई और एसजेवीएन*

[39] *एआईईएल, बीईएमएल, सीसीआई, सीएमपीडीआईएल, सीएसएल, जीएसएल, आईओसीएल, एमसीएल, एमओआईएल, नाल्को, एनएचपीसी, एनएमडीसी, एनपीसीआईएल, एनटीपीसीएल, एनटीपीएल, पीजीसीआईएल, आरसीएफ और रेल विकास निगम लिमिटेड*

जीएसएल ने उस राज्य में व्यय किया है जहां यह स्थित है अर्थात् (तेलंगाना/ गोवा)। 1 सीपीएसई (एचएससीसी) के संबंध में 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का इंतजार किया गया था।

4.5.3.5 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं की निधीयन

भारत सरकार(जीओआई) ने समाज के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की और निधीयन के लिए सीपीएसई से संपर्क किया। सीपीएसई अधिनियम की अनुसूचीVII की शर्तों को पूरा करने के लिए सीएसआर के अधीन ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के निधीयन पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे अर्थात् इसमें दस व्यापक श्रेणियों यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा, सशस्त्र बलों की मर्यादा, ग्रामीण विकास और झुग्गी विकास का उल्लेख होना चाहिए। इन व्यापक शीर्षों के तहत आने वाली परियोजनाएं और योजनाएं सीएसआर के तहत निधीयन के लिएयोग्य होंगी। लेखापरीक्षा ने सीएसआर के तहत सीपीएसई द्वारा कुछ जीओआई के परियोजनाओं के निधीयन की समीक्षा की और निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

1. स्वच्छ भारत (एसबी) मिशन

अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डीपीई ने सीपीएसई को गंगा कायाकल्प के लिए एसबी मिशन और स्वच्छ गंगा निधि पर सीएसआर निधि का 33 प्रतिशत खर्च करने का निर्देश (अगस्त 2016) दिया। एमओयू के तहत निष्पादन मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों (जनवरी 2018) के अनुसार, सीपीएसई को एसबी पर अनुपालन पूरा करना होगा। एसबी मिशन के तहत अनुमत घटकों का निम्न में योगदान था:

(i) एसबी कोष,

(ii) प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना (पीएमयूवाई) और

(iii) स्वच्छ गंगा निधि

73 सीपीएसई द्वारा एसबी पर कुल व्यय ₹ 1019.16 करोड़ (एसबी पर ₹ 829.27 करोड़ + स्वच्छ गंगा पर ₹ 47.04 करोड़ + पीएमयूवाई पर ₹ 142.85 करोड़) यानी कुल सीएसआर व्यय का 30.52 प्रतिशत था। 8 सीपीएसई (एआईएटीएसएल, बीईएमएल, बीएलआईएल, एमएसटीसी, एनटीपीएल, रेलटेल, आरईडीपीसीएल और यूसीआईएल) ने एसबी पर व्यय नहीं किया। 23 सीपीएसई ने एसबी कोष को कुल ₹ 137.08 करोड़ दिए, 4 सीपीएसई (बीपीसीएल, सीपीसीएल एचपीसीएल, आईओसीएल) ने पीएमयूवाई के लिए कुल ₹ 142.85 करोड़ का योगदान दिया (कुल सीएसआर व्यय का 4.29 प्रतिशत) और 12 सीपीएसई (एएआई, सीएसएल, सीपीसीएल, एचएससीसी एमडीएल, इरकॉन, आईआरएफसी, आईटीपीओ, एसईसीएल, एसईसीआई, एसपीएमसीआई और टीसीआईएल) ने स्वच्छ गंगा कोष में कुल ₹ 47.04 करोड़ का योगदान दिया। इस प्रकार, एसबी पर कुल कमी 2.48 प्रतिशत थी। 26 सीपीएसई ने एसबी पर 33 प्रतिशत से अधिक और 47 सीपीएसई ने 33 प्रतिशत से कम व्यय किया (**परिशिष्ट-XXII** में विवरण)।

मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया (अगस्त 2019) कि पीएमयूवाई एसबी कोष का हिस्सा नहीं हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि 6 सीपीएसई[40] के लिए जून 2016 में पीएमयूवाई योजना के कार्यान्वयन के तोर-तरीकों के अनुसार 2 प्रतिशत सीएसआर निधि के 20[41] प्रतिशत निधियों की सीमा तक पीएमयूवाई योजना पर प्रयुक्त होगा। एमओपीएनजी की वेबसाइट पर पीएमयूवाई योजना पर स्वच्छ भारत का लोगो उपस्थित है।

2. कौशल विकास संस्थान

एमओपीएनजी ने जनवरी 2015 में ऑयल पीएसयू को कौशल विकास संस्थान (एसडीआई) की स्थापना के लिए निर्देश दिए। प्रत्येक पीएसयू को एक एसडीआई को आश्रय और अन्य पीएसयू द्वारा एसडीआई को आश्रय देने में सहायता प्रदान करनी थी। कुल 6 एसडीआई (विशाखापत्तनम-एचपीसीएल, भुवनेश्वर-आईओसीएल, कोच्चि-बीपीसीएल, अहमदाबाद-ओएनजीसी, गुवाहाटी-ओआईएल और रायबरेली-गेल) स्थापित किए गए हैं। 2017-18 में, तेल पीएसयू और ईआईएल ने एसडीएस (बीपीसीएल - ₹ 5.5 करोड़, गेल - ₹ 1.5 करोड़, एचपीसीएल - ₹ 9 करोड़, आईओसीएल- ₹ 10 करोड़, ओआईएल - ₹ 4.55 करोड़, ओएनजीसी - ₹ 6 करोड, ईआईएल - ₹ 2.25 करोड़) के

---

[40] *ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल*

[41] *हालांकि सीपीसीएल ने सीएसआर के अंतर्गत् पीएमयूवाई के लिए ₹ 0.92 करोड़ खर्च करने हेतु अनुमति नहीं दी, आईओसीएल ने ₹ 14.42 करोड़ द्वारा 20 प्रतिशत की सीमापार कर दी।*

लिए कुल ₹ 38.45 करोड़ का योगदान दिया। एसडीआई कोच्चि का केन्द्र बिन्दु "विदेशी प्लेसमेंट" होना बताया गया है। 6 एसडीआई में से, 5 परिचालन में हैं और एसडीआई रायबरेली को परिचालन में लाया जाना बाकी है।

3. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के कॉर्पस फंड

एमओपीएनजी ने (दिसंबर 2016) तेल पीएसयू (ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल और गेल) से अनुरोध किया कि वह विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) की स्थापना के लिए ₹ 200 करोड़ का योगदान करें। ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल और ओआईएल ने 2016-17 (₹ 125 करोड़) और 2017-18 (₹ 45 करोड़) के दौरान कॉर्पस फंड में कुल ₹ 170 करोड़ का योगदान दिया। विवाद के कारण अप्रैल 2018 तक, राज्य सरकार द्वारा भूमि को सौंपा जाना अभी बाकी था और इस तरह का निर्माण कार्य शुरू होना अभी बाकी है। इस बीच, आईआईपीई, आंध्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक अस्थायी परिसर से काम कर रहा है और 2016-17 से शैक्षणिक सत्र संचालित कर रहा है। इस प्रकार, कोष का उपयोग किया जाना अभी बाकी है। व

4. राष्ट्रीय तेल संग्रहालय

एमओपीएनजी ने 1984 में राष्ट्रीय तेल संग्रहालय के लिए वापस प्रस्ताव शुरू किया। 1997-2002 के दौरान, तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने इसके लिए ₹ 5.47 करोड़ का योगदान दिया। इसके बाद, 34 वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई। 2016-17 में प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया गया और ओआईएल को संग्रहालय की गतिविधियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। ओआईएल ने (अगस्त 2017) तेल पीएसयू और ईआईएल को संग्रहालय की अनुमानित लागत (₹ 88.96 करोड़) के निधीयन के लिए लिखा था (2005 में अनुमानित लागत ₹ 30 करोड़ थी)। 2017-18 में, बीपीसीएल एकमात्र सीपीएसई था जिसने सीएसआर के तहत अनुसूची VII की श्रेणी (v) के तहत विचार करके ₹ 14.83 करोड़ का योगदान दिया, अर्थात राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व का स्थल और पुस्तकालय का निर्माण। संग्रहालय का निर्माण अभी बाकी है।

डीपीई ने अपने उत्तर (जुलाई 2019) में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षित विभिन्न मद वे हैं जो डीपीई के दायरें में नहीं आते हैं जैसे कि तेल क्षेत्र की सीपीएसई द्वारा कौशल विकास संस्थान की स्थापना, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की कौपर्स

निधि, राष्ट्रीय तेल संग्रहालय आदि। ये सीपीएसई और अन्य स्रोतों से लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित सूचना पर आधारित हैं। डीपीई नें यह भी बताया कि प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित मंत्रालय/सीपीएसई की टिप्पणियों पर विचार किया जाए। कार्रवाई अंतिम रिपोर्ट पर की जाएगी।

उत्तर को तथ्य के ध्यान में रखते हुए देखा जाए कि तेल सीपीएसई ने सीएसआर निधियों को इन परियोजनाओं पर खर्च किया और इनके कार्यान्वयन की स्थिति को अध्याय में प्रदर्शित किया गया है। जहां आवश्यक था सीपीएसई के उत्तर पर विचार करने के बाद सीएसआर पर अध्याय को अंतिम रूप दिया गया है।

4.5.3.6 सीपीएसई द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निष्कर्ष

(i) सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक उपक्रम के लिए जल बेंचमार्किंग अध्ययन

ग्लोबल कॉम्पेक्ट नेटवर्क इंडिया (जीसीएनआई) संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट न्यू यॉर्क के भारतीय स्थानीय नेटवर्क ने भारत में थर्मल पावर जनरेशन, आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड गैस, पेपर-पल्प, फर्टिलाइजर्स और ऑटोमोटिव सेक्टर के सामने आने वाले पानी से संबंधित रुझानों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए वॉटर इंडेक्स/बेंचमार्किंग पर अध्ययन के लिए ओएनजीसी से वित्त हेतु अनुरोध (मई 2016) किया। ओएनजीसी ने जीसीएनआई कोअध्ययन के लिए 2017-18 में ₹ 0.50 करोड़ का सहयोग दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अध्ययन में शामिल लगभग 30 कंपनियां और सभी व्यावसायिक संस्थाएं जैसे बीएचईएल, गेल (इंडिया) लिमिटेड, जेके पेपर लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स आदि जीसीएनआई की सदस्य थीं। जीसीएनआई की निधीयन सदस्यता शुल्क के माध्यम से होती है। चूंकि अध्ययन इन निजी और सार्वजनिक वाणिज्यिक सदस्य कंपनियों के लाभ के लिए विशेष रूप से किया गया था, इसलिए परियोजना लागत को सदस्य कंपनियों द्वारा अपने व्यापार निधि से साझा किया जाना चाहिए था। हालांकि अध्ययन का विषय अनुसूची VII के अनुरूप था, लक्ष्य समूह को देखते हुए सीएसआर के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि एमसीए 21 के पोर्टल पर फाईल किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार ओएनजीसी ने जीसीएनआई में काई योगदान

नहीं किया। ओएनजीसी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार ओएनजीसी ने 2017-18 में जीसीएनआई को चरण-।। के अध्यन हेतु ₹ 0.50 करोड़ की राशि का सहयोग दिया।

(ii) निजी क्षेत्रों में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ओएसडी के अनुरोध के आधार पर, ओएनजीसी ने स्वच्छ मंत्री की डोईवाला निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3 सौर आधारित रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) जल शुद्धिकरण संयंत्रों (₹ 0.31 करोड़) की स्थापना की थी। इस परियोजना को शार्प डेवलपमेंट के साथ इसके प्रौद्योगिकी साझेदार जीकेएमएनर्जी, सोलर सिस्टम के निर्माता द्वारा कार्यान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओएसडी द्वारा चुने गए स्थानों पर दो मंदिर और एक विवाह हॉल यानी एक वाणिज्यिक इकाई थे। दो आरओ संयंत्र मंदिरों की छत पर और एक आरओ संयंत्र शादी के हॉल के परिसर के अंदर लगाया गया था। जैसा कि सीएसआर स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे गए एजेंडे में कहा गया है, 5 साल बाद, यह व्यवस्था, लागू करने वाली एजेंसी द्वारा स्थानीय गवर्निंग बॉडी को सौंप दी गई थी। हालांकि, मंदिर और मैरिज हॉल सरकारी संपत्ति नहीं हैं। आरओ वाटर संयंत्र को सार्वजनिक स्थानों जैसे नगरपालिका, पब्लिक स्कूल, रेलवे स्टेशन आदि में स्थित होना चाहिए।

(iii) सीएसआर के तहत व्यवसाय के सामान्य अवधि में गतिविधि

इरडा ने सीएसआर के तहत विभिन्न स्थानों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता (₹ 0.52 करोड़) प्रदान की थी। सीएसआर नियम 6 के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों में व्यवसाय के सामान्य अवधि के अनुसरण में शुरू की गई गतिविधियाँ शामिल नहीं होनी चाहिए। इरडा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के माध्यम से नए और नवीकरणीय स्रोतों और रूढ़िवादी ऊर्जा के माध्यम से बिजली और/ऊर्जा पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इसलिए उपरोक्त निधीयन सीएसआर के रूप में योग्य नहीं है।

4.3.5.7 उल्लेखनीय परियोजनाएं

82 सीपीएसई ने शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण के चार केंद्रित क्षेत्रों में 2017-18 में कुल 9088 सीएसआर परियोजनाएं शुरू कीं। शिक्षा के तहत स्कूलों की स्थापना/निर्माण के लिए विशेष/नि: शक्तजन बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए

सहायता प्रदान करने में कुल खर्च ₹ 395.09 करोड़ की का हुआ। स्वास्थ्य पर व्यय ₹ 132.30 करोड़ था जिसमें अस्पतालों की स्थापना, मोबाइल मेडिकल वैन/एंबुलेंस, स्वास्थ्य शिविर आदि प्रदान करना शामिल था। कौशल विकास (₹ 1876.65 करोड़) में युवाओं और अल्प सुविधा प्राप्त को प्रशिक्षणशामिल थे। पर्यावरण (₹ 410.61 करोड़) में जानवरों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों, वृक्षारोपण, ईंधन संयंत्र के अपशिष्ट आदि शामिल थे, कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

सीपीएसई	उल्लेखनीय परियोजना
शिक्षा	
एचपीसीएल	परियोजना नन्ही कली लड़कियों -के लिए शिक्षा,परियोजना अनुकूलन -विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा और चिकित्सा हेतु सहायता
एमएसटीसी	पश्चिम बंगाल मेंअनाथों/ शोषित/मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल भवन
एनएमडीसी	विकलांग/मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आवासीय स्कूल
पीजीसीआईएल	विकलांग के लिए स्कूल सह-छात्रावास
रोजगार और कौशल विकास	
बीपीसीएल	कुष्ठ प्रभावित और वंचित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
सीपीसीएल, ईआईएल, एचपीसीएल, एमओआईएल, एनएफएल, एनएचडीसी, एनपीसीआईएल, ओआईएल, एसएमपीसीआईएल	युवाओं, महिलाओं, संविदाकर्मियों आदि को कौशल विकास प्रशिक्षण
गैल	प्रोजेक्ट उत्कर्ष-हाशिए पर रहने वाले छात्रों को आईआईटीजेईई प्रशिक्षण।
पर्यावरण	
ईआईएल, आईओसीएल, एनएचडीसी, ओएनजीसी	ईधन संयंत्र का अपशिष्ट, जैव सीएनजी बॉटलिंग और गोबर/सब्जी कचरे को ठोस खाद/उर्वरक में परिवर्तित करने के लिए उर्वरक संयंत्र,

4.5.4 निगरानी ढांचा

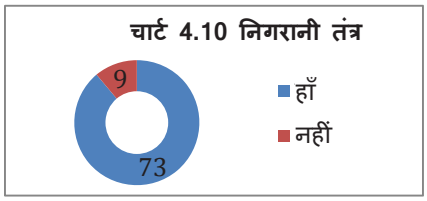

सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) के अनुसार, सीएसआर समिति, कंपनी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। डीपीई ने का.ज्ञा. दिनांक 01.08.2016 के अनुसार सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र रखने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई, 9 सीपीएसई (बीएलआई, कॉनकोर एयर, सीडब्ल्यूसी, ईआईएल, जीसीआई, यूसीआईएल, आईओसीएल, एनएलसी, और एनटीपीएल) ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट नहीं किया। जबकि 12 सीपीएसई ने कोई समीक्षा बैठक नहीं की, 17 सीपीएसई ने मासिक समीक्षा बैठकें की, 31 सीपीएसई त्रैमासिक (जेसीआई सहित, जिनके पास यद्यपि सीएसआर नीति नहीं थी) बैठक आयोजित की गई, 6 सीपीएसई छमाही और 16 सीपीएसई ने परियोजना की आवश्यकता के अनुसार नियमित बैठकें कीं।

मूल्यांकन: सीपीएसई, सीएसआर परियोजना/गतिविधि के प्रकार पर निर्भर रहते हुए मामले के आधार पर प्रभाव निर्धारण कर रहे हैं। 2017-18 में, 82 सीपीएसई में से, केवल 14 सीपीएसई ने प्रभाव निर्धारण किया। बीएलआई ने पीएमआरएफ को पूरे सीएसआर निधि का योगदान दिया, इसलिए वहां निगरानी और निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीपीसीएल में 2017-18 के निर्धारण के लिए कोई परियोजना बकाया नहीं थी। 12 सीपीएसई (एएआई, एआईएटीएसएल, भेल, गेल, जीएसएल, आईटीपीओ, एमडीएल, एनएएल, ओआईएल, ओएनजीसी, आरईटीएस और एसजेवीएन) ने बाहरी एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव निर्धारण प्राप्त किया है। एचएएल और आईओसीएल सीएसआर गतिविधियों के प्रभाव का आंतरिक रूप से/अनौपचारिक आंतरिक रूप से रूप से साइट विजिट और परामर्श के माध्यम से आकलन करते हैं। प्रभाव निर्धारण पर कुल व्यय ₹ 1.58 करोड़ (15 सीपीएसई के लिए) था।

4.5.5 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

अधिनियम की धारा 134 (3) (ओ) के साथ पठित धारा 135 (2) और (4) के अनुसार कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट को शामिल करने और

इसे आधिकारिक वेबसाइट रखने की आवश्यकता होती है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का खुलासा करना होगा:

1. सीएसआर नीति की सामग्री, सीएसआर नीति की वेब लिंक, औसत निवल लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों का खुलासा करना।
2. सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व विवरण शामिल करें कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्य और कंपनी की नीति के अनुपालन में था।

82 सीपीएसई द्वारा अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां[42] निम्नानुसार हैं:

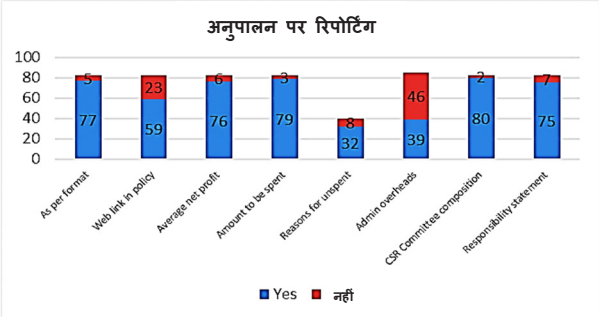

- 4 सीपीएसई (सीडब्ल्यूसी, एचएससीसी, एसईसीआई और यूसीआईएल) ने निर्धारित प्रारूप को नहीं अपनाया।
- 20 सीपीएसई (परिशिष्ट-XXIIIके अनुसार) ने रिपोर्ट में वेब लिंक नहीं दर्शाया।
- 5 सीपीएसई (सीएमपीडीआईएल, एचएससीसी, एनआरएल, एसईसीआई और यूसीआईएल) ने पिछले 3 वित्तीय वर्ष के लिए औसत निवल लाभ नहीं दर्शाया।
- 1 सीपीएसई (एचएससीसी) ने व्यय की जाने वाली राशि का संकेत नहीं दिया और 2 सीपीएसई (सीएमपीडीआईएल और एचएससीसी) ने अव्ययित राशि का विवरण नहीं दिया। ₹ 38.61 लाख की अव्ययित राशि केविपरीत, गेल गैस ने ₹ 1.12 लाख को अव्ययित राशि के रूप में दिखाया है।
- 53 सीपीएसई में से जिनमें प्रशासनिक परिव्यय हुआ था, 10 सीपीएसई परियोजना के प्रत्यक्ष और उपरिव्यय खर्चों पर अलग से रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। (सीडब्ल्यूसी, जीएसएल, आईटीपीओ, जेसीआई, एनएसआईसी, पीजीसीएल, आरसीएफ, आरईसीएल, यूसीआईएल और डब्ल्यूएपीसीओएस)

---

[42] *1 सीपीएसई के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर (2017-18 के लिए रिपोर्ट प्रतिक्षित)।*

- 39 सीपीएसई में से, जिसने (वर्तमान वर्ष की) सीएसआर निधि को पूरी तरह से खर्च नहीं किया, 3 सीपीएसई (सीसीआई, सीडब्ल्यूसी और ईसीजीसी) ने कमी का कारण नहीं बताया।
- 2 सीपीएसई (एनआरएल और एसईसीआई) को छोड़कर सभी ने रिपोर्ट में सीएसआर समिति की संरचना दी थी। एचएससीसी ने प्रारूप में नहीं दिया।
- 6 सीपीएसई (सीसीआई, ईसीजीसी, एचएससीसी, एनएसआईसीएल, एसईसीआई और यूसीआईएल) ने उत्तरदायित्व विवरण को शामिल नहीं किया
- केपीएल द्वारा उत्तरदायित्व विवरण में निगरानी तंत्र के अस्तित्व पर टिप्पणी कीगई और सीएसआर नीति के अनुपालन की स्थिति पर नहीं।

4.6 निष्कर्ष

80 सीपीएसई ने सीएसआर समिति के गठन और सीएसआर नीति तैयार करने के संबंध में अधिनियम और सीएसआर नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। दो सीपीएसई ने आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया (एसईसीआई ने सीएसआर समिति का गठन नहीं किया और जेसीआई के पास सीएसआर नीति नहीं थी)। पाँच सीपीएसई ने सीएसआर निधि का2 फीसदी व्यय किया, 43 सीपीएसई ने 2 फीसदी से ज्यादाव्यय किया और 34 सीपीएसई ने 2 फीसदी से कम व्यय किया। प्रशासनिक उपरिव्यय 8 सीपीएसई के लिए समग्र सीएसआर बजट की 5 प्रतिशत की सीमा को पार कर गया।एचएएल और एसजेवीएन ने सीएसआर निधियों में अधिशेष वापस कर दिया था और बीडीएल ने इसे व्यावसायिक आय के रूप में दिखाया था। पिछले वर्ष की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य ने अधिकतम निधीयन प्राप्त किया हैं। 72 सीपीएसई के संबंध में निगरानी तंत्र लागू था। इरडा ने सीएसआर के तहत सामान्य व्यावसायिक गतिविधि को शामिल किया था। पैरा 4.5.3.6 में टिप्पणी की गई परियोजनाओं को छोड़कर, सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उचित परिश्रम था।